न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री आशीष कुमार (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 42/2018

उनवानः—

सावित्री पुत्री बाबूलाल पत्नि हरिमोहन जाति मीणा निवासी बरला तह0 अटरू जिला बारां

....प्रार्थीया

♠ बनाम ♠

1. बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी चैननपुरिया तह0 मांगरोल जिला बारां
2. अन्तिमा पुत्री बाबूलाल पत्नि विष्णु मीणा निवासी छीनोद तह0 किशनगंज जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

दायरा दिनांकः 09.08.2018 निर्णय दिनांक : 19.08.2019

अधिवक्ता प्रार्थीः— श्री महेन्द्र सिंह हाडा

अधिवक्ता अप्रार्थीगण :— श्री हरिओम यादव

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम चन्द्राहेडी में खाता संख्या 26 में नामा0 संख्या 332 दिनांक 09.06.2018 सहमति बंटवारे से अप्रार्थी कम 1 के खसरा नं0 53/252 दक्षिण रकबा 1.12 है0 भूमि पुश्तैनी हिस्से में आयी है उक्त भूमि को प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त भूमि कहा गया है। प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी कम 1 को उक्त आराजी प्रार्थीया के दादा जगन्नाथ से पुश्तैनी होने से प्राप्त हुयी है जिसमें खसरा नं0 53/252 दक्षिण रकबा 1.12 है0 भूमि में हिस्सा 1/3 नियत है प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी कम 1 ने दो शादिया की थी जिसकी प्रथम पत्नि की मृत्यु के बाद प्रार्थीया एक मात्र वारिस है। प्रार्थीया की सौतेली मा संजू उक्त पुश्तैनी आराजी को बैचान करने के लिय सायी पेटे अन्य व्यक्ति से राशि प्राप्त कर ली है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजीयन कराने पर आमादा है। उक्त आराजी पुश्तैनी होने से प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा निहित है। उक्त हिस्से की हक घोषणा कराकर वादनी खाते दर्ज करवाने की अधिकारी है। प्रार्थीया का हिस्सा 1/3 आराजी को रहन बैचान नही किया जावे अतः निवेदन है कि ग्राम चन्द्राहेडी में खाता संख्या 26 खसरा नं0 53/252 दक्षिण रकबा 1.12 है0 भूमि पुश्तैनी भूमि में प्रार्थीया के 1/3 हिस्से की भूमि को अप्रार्थीगण अन्यत्र रहन बैचान या खुर्द—बुर्द नही करे प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करें प्रार्थीया को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 09.08.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हरिओम यादव ने वकालत नामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को प्रार्थीया की प्रार्थना में किसी प्रकार आपत्ति जाहिर नही किया है एवं निवेदन किया है कि अप्रार्थी कम 2 को भी उक्त भूमि में 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

...वली में संलग्न दस्तावेज का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन, मनन किया गया। प्रार्थीया एवं ... के विद्धान अधिवक्ता की दिनांक 19.08.2019 को बहस सुनी गयी । प्रार्थी एवं अप्रार्थी के ...वक्ता ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया है जिनका उनके द्वारा कमशः प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में अंकन किया गया है तथा दोनो पक्ष अपने-अपने 1/3-1/3-1/3 हिस्से को लेकर सहमत है एवं साथ ही यह भी जिक किया कि कोई भी अन्य की आराजी में दखल अंदाजी नही कर रहा है। अतः पत्रावली में संलग्न में दस्तावेज व सुनी गयी बहस पर मनन करने के पश्चात आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट के प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी ग्राम चन्द्राहेडी में खाता संख्या 26 की खसरा नं0 53/252 दक्षिण रकबा 1.12 है0 में प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा निहित है। अतः अप्रार्थी कम 1 व 2 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीया के उक्त हिस्से आराजी की मौके एवं रेकार्ड की वर्तमान यथास्थिति बनाये रखी जावे तथा उसके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी ना तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर शुमार से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को सरेइजलास में सुनाया गया।

(आशीष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashish Kumar
Date: 2019.08.27 18:09:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: